न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास श्रीमती पुष्पा हरवानी (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 20/18 प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 26.11.2019

बउनवान

1. भैरूलाल पुत्र छीतरलाल जाति भील निवासी कनवास रामनगर की टापरियां हाल निवासी भवरिया डडवाडा तहसील लाडपुरा।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमबाई पुत्री छीतरलाल पत्नि छोटूलाल जाति भील निवासी छोटा चान्दा गणेशगंज के पास तहसील ईटावा।

अप्रार्थी

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।
अप्रार्थी के विरूद्व एक तरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के स्वर्गीय पिता छीतरलाल से विरासतन में ग्राम चक जगदीशपुरा पटवार क्षेत्र जालिमपुरा में आराजी खसरा नबंर 467/532 की रकबा 0.16 है0, खसरा नबंर 468 की 2.15 है0, खसरा नबंर 469 की 0.12 है0, कुल 03 किता की रकबा 2.43 है0, आराजी नामान्तरण दर्ज होकर प्रार्थी व अप्रार्थी के खाते दर्ज हुई है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी अनूसूचित जनजाति से भील जाति के हैं, जिन पर हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम लागू नंही होता है। तथा इन पर पूराना कानून जो कोटा स्टेट के समय लागू होता था वही वर्तमान में भी लागू होता है। कोटा स्टेट के सर्कूलर में हिन्दू व्यक्ति की मौत पर केवल पुरूष वारिसान ही विरासत में हकदार होते थे स्त्रियों को कोई हक प्राप्त नंही होता था, इसलिये मृतक की पुत्रि व पत्नि को मृतक की आराजी में विरासतन हक प्राप्त करने का अधिकार नंही था, इसलिये प्रार्थी व प्रतिपक्षी अनूसूचित जाति के होने से छीतरलाल के फोती नामन्तरण में प्रार्थी भैरूलाल का ही नाम दर्ज होना चाहिये था अप्रार्थी प्रेमबाई का नामान्तरण में नाम दर्ज़ नंही होना चाहिये, परन्तु छीतरलाल के फोती नामन्तरण में प्रार्थी के साथ समभाग में प्रतिपक्षी का नाम भी अवैध रूप से दर्ज कर दिया गया। प्रतिपक्षी का इस प्रकार नाम दर्ज कर देने से प्रतिपक्षी को उपरोक्त आराजी में कोई हक प्राप्त नंही हो सकते हैं।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलवी अप्रार्थी को की गई, अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उसके विरूद्व दिनांक 09.10.19 को एक तरफा कार्यवाही की गई। बहस सूनी गई, वकील प्रार्थी व दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों ही छीतरलाल की संतान है व भील जाति से है। पिता छीतरलाल की मृत्यु के पश्चात

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

वारीसान में पुत्र भैरूलाल के साथ–साथ बहिन प्रेमबाई के नाम इंतकाल खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। जबकि प्रार्थी **भील जाति से होने के कारण प्रार्थी पर हिन्दू उत्तराधिकार** अधिनियम लागू नंही होता है। बस इन पर पूराना कानून जो कोटा स्टेट के समय लागू होता है वही वर्तमान में लागू है। बहस दौराने वकील प्रार्थी द्वारा RRD 1989 पेज नबंर 284 पूमा बनाम राजस्थान सरकार , RRD पेज नबंर 289, व 286 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। साथ ही सरकूलर नबंर 03 सीगा माल राज. कोटा महकामा खास दूसरा भाग पेज नबंर 11 मंजूर 28 अक्टूबर 1937 प्रस्तुत किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी ग्राम चक जगदीशपुरा पटवार क्षेत्र जालिमपुरा में आराजी खसरा नबंर 467/532 की रकबा 0.16 है0, खसरा नबंर 468 की 2.15 है0, खसरा नबंर 469 की 0.12 है0, कुल 03 किता की रकबा 2.43 है0, कृषि भूमि के वर्तमान में रिर्कोडेड खातेदार हैं, प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में होने को सिद्व करने का भार प्रार्थी पर था, जिसे प्रार्थी द्वारा साबित नंही किया गया। दौराने बहस प्रार्थी वकील द्वारा प्रसतुत न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संदर्भ में चस्पा नंही होते, प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा सबंधी कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नंही है, जिससे प्रार्थना–पत्र में कथित मुद्दे की बात साबित होती हो। अतः मामला प्रथम दुष्टया प्रार्थी के पक्ष में नंही बनता है, तद्नरूप अपूर्णनीय क्षति व सुविधा सतुलंन भी प्रार्थी के पक्ष में नंही जाता है। अतः प्रार्थी प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुष्पा हरवानी आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा